अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–200/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

(19)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
5/1/21	**–: आदेश :–** इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि **मौजा कानीझाड़ा थाना संख्या–287 खाता संख्या–108 दाग संख्या–354 रकबा–02 बीघा 18 कट्ठा 02 धूर किस्म–पुष्करणी** कहकर विगत सर्वे खतियान में दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा राजस्व पंजी–।। की सम्यक् जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि मौजा–कानीझाड़ा के राजस्व पंजी–।। के भोल्यूम संख्या–1 पेज संख्या–135 में खलील एंव अब्दुल सलाम साकिन–कानीझाड़ा के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा स्पष्ट अनुशंसित मंतव्य अंकित किया गया है कि कायम जमाबंदी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने हेतु सरकारी भूमि को हड़पने/कब्जा करने के प्रयास के तहत् फर्जी तरिके से जमाबंदी कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि अभिलेखबद्व पंजी–।। अपठनीय है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 710/रा0 दिनांक 09.08.2016 से निर्गत प्रथम नोटिश, तदुपरान्त विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए निर्गत द्वितीय नोटिश, जो अभिलेखबद्व है, के प्रत्युत्तर में विपक्षी द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा राजस्व पंजी–।। के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत कायन जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन अति आवश्यक है। **राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के पत्रांक–1704 दिनांक–15.07.2020 से यह स्पष्ट दिशा निदेश प्राप्त है कि वर्ष 01.01.1946 के पूर्व निबंधित बिकयपत्र/पट्टा/हुक्मनामा के आधार पर खोले गए जमाबंदी की सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एंव भौतिक सत्यापन के पश्चात् आदेश पारित करना है।** सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् कायम की गई है जिसका सरकार एंव लोकहित में विलोपन आवश्यक है। **अतः मौजा कानीझाड़ा थाना संख्या–287 खाता संख्या–108 दाग संख्या–354 रकबा–02 बीघा 18 कट्ठा 02 धूर किस्म– पुष्करणी का विपक्षी खलील एंव अब्दुल सलाम के नाम मौजा–कानीझाड़ा के राजस्व पंजी–।। के भोल्यूम संख्या–1 पेज संख्या–135 में निराधार कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है।** अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें। लेखापित एंव संशोधित 05/01/21 **अंचल अधिकारी** **महेशपुर**	05/01/21 अंचल अधिकारी महेशपुर

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.10 13:36:33 +05:30
Location: 192.168.0.109

Scanned with CamScanner